(दिल्ली राजपत्र भाग – 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय
पुराना सचिवालय, नई दिल्ली –110054

संख्या एफ.15(172)/डी.ई./अधि./2010/7099-7113 दिनांक 26/02/2013

अधिसूचना

संख्या एफ.15 (172)/डी.ई./अधि./2010–दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियमावली, 1973 के नियम 43 के साथ पठित दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम 1973 (1973 का 18वां) की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिनांक 7.01.2011 की अधिसूचना संख्या एफ.15(172)/डी.ई./अधि./2010/69 के अनुसार प्रकाशित दिल्ली स्कूल शिक्षा (आर्थिक रूप से कमजोर तथा लाभहीन वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क सीटें) आदेश 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

(1) इस आदेश को दिल्ली स्कूल शिक्षा (आर्थिक रूप से कमजोर तथा लाभहीन वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क सीटें) संशोधन आदेश, 2013 कहा जायेगा ।

(2) यह तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा ।

2. खण्ड 3 के उपखण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

(क) "सभी विघालय कक्षा प्रथम में निकटवर्ती क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर तथा लाभहीन वर्ग से सम्बधित बच्चों को उस कक्षा की संख्या बल का कम से कम 25 प्रतिशत तक प्रवेश देंगे तथा उनकी प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे।

शर्त यह है कि जहां ऐसे विद्यालय, जो विघालय पूर्व शिक्षा देते हैं, वहां ऐसी विघालय पूर्व शिक्षा के प्रवेश के लिए उपबंध लागू हो : दिनांक 25.01.2007 के आदेश संख्या डीई/15/अधि0/2006/424 के अधिक्रमण में कुछ भी रहते हुए विघालय (अल्पसंख्यक विघालय सहित) जिन्हें सरकार द्वारा भूमि आबंटित की गई थी और प्रवेश स्तर से ऊपर स्तर की अन्य श्रेणियों मे किये गए सभी नए प्रवेशों में डब्लयूपीसी सं. 3422/2007 में माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 30/5/2007 के अन्तरिम आदेश तथा इससे सम्बधित याचिकाओं के क्रियान्यवन होने तक या इन याचिकाओं के अन्तिम निर्णय आने तक निकटवर्ती क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर तथा लाभहीन वर्ग के बच्चों को 10 प्रतिशत तक प्रवेश और विघालय के कर्मचारियों के बच्चों के लिए 5 प्रतिशत तक प्रवेश भी दिया जाएगा।

शर्त यह है कि 15 प्रतिशत का उक्त प्रावधान उन अल्पसंख्यक विद्यालय के प्रवेश स्तर पर लागू होंगे, जिनको सरकारी अभिकरण द्वारा भूमि आंबटित की गई थी।

(3) खण्ड 3 (क) के पश्चात् एक नया खण्ड 3(कक) भी सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:–

"3 (कक) निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के उपबंधों में 25 प्रतिशत निःशुल्क सीटों के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को वर्दी और पुस्तकों पर होने वाले खर्च के लिए सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के समान ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वित्तीय सहायता की प्रतिपूर्ति शिक्षा विभाग करेगा और इसका विवरण स्कूल के प्रधान के माध्यम से होगा।"

(4) खण्ड 6 के उपखण्ड (ग) में प्रविष्टि (iv) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात :–

"(v) बच्चे/किसी माता–पिता का आधार पत्र/विशिष्ट पहचान पत्र (यू.आई.डी)।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मधु तेवतिया

(डॉ0 मधु रानी तेवतिया)
अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

संख्या एफ.15(172)/डी.ई./अधि./2010/ 7099-7113 दिनांक 26/02/2013

प्रतिलिपि :

1. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
2. उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली ।
3. मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव को, दिल्ली ।
4. शिक्षा मंत्री, दिल्ली सरकार के सचिव को, दिल्ली ।
5. विशेष कार्याधिकारी मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली ।
6. सचिव (शिक्षा) दिल्ली सरकार, दिल्ली
7. निदेशक (शिक्षा) दिल्ली सरकार, दिल्ली ।
8. सचिव (शिक्षा) दिल्ली नगर निगम ।
9. निदेशक (शिक्षा) , नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड ।
11. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली ।
12. सभी अपर निदेशक/आर डी ई/जे डी ई/डी डी ई/ए डी ई, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार ।
13. सभी शाखा प्रभारी, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार ।
14. कार्यालय अधीक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) को शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट में डालने के अनुरोध सहित ।
15. गार्ड फाइल ।

मधु तेवतिया

(डॉ0 मधु रानी तेवतिया)
अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)